



Neutral Citation No. - 2026:AHC:870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 23425 वर्ष 2025

विनोद कुमार

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गौरी शंकर यादव, इमरान सैयद, उमैर आलम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मदन सिंह

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान सैयद और श्री गौरी शंकर यादव, प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मदन सिंह, और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री विजेंद्र कुमार की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह जमानत याचिका विनोद कुमार को मुकदमा अपराध संख्या 165/2024 में, धारा 85, 115 (2), 351 (2), 109 (1) बीएनएस और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन ऐचोरा कंबोह, जिला संभल में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 22.03.2025 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा पांच दिन की देरी से, बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसका विवाह आवेदक से 06.05.2006 को हुआ था और उसके तीन बेटियां और दो बेटे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना वाले दिन, प्रथम सूचनाकर्ता के पति आवेदक और आवेदक के अन्य नामित परिवार के सदस्यों ने प्रथम सूचनाकर्ता को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, जिससे पीड़िता के हाथ और एक पैर टूट गए। पीड़िता ने मदद के लिए 108 पर कॉल किया और पुलिसकर्मी उसे अस्माली स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे संभल संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 180 बीएनएसएस के तहत दिए गए बयान में विरोधाभास है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में 26.03.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से आगे की हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। विस्तार से बहस करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पिछले आठ महीनों से अधिक समय से जेल में बंद है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की निवेदन की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और आवेदक पिछले आठ महीनों से अधिक समय से जेल में बंद है।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, कारावास की अवधि और गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **विनोद कुमार** को, मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5 जनवरी, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।